संख्या– 501 /26–ब0प्र0–2011–01(ब0प्र0)/09–डी0पी0

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊः दिनांकः 27 मई , 2011

विषयः– डा0 अम्बेडकर ग्रामों में " डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों " के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1181/26–3–2011–01(ब0प्र0)/2009–डी0पी0, दिनांक 19–04–2011, जिसके द्वारा जनपदवार सामुदायिक केन्द्रों का निर्धारण किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रों की अधिकतम संख्या 95 तथा जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर एवं जनपद काशीराम नगर का भी समावेश कर निम्नानुसार जनपदों को लक्ष्यों का आवंटन तथा अनुसूचित जाति सबप्लान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों में 2000 डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत/डिजाइन के अनुसार प्रति केन्द्र रू0 16.39 लाख की दर से कुल आवश्यक धनराशि रू0 327.80 करोड़ (रू0 तीन अरब सत्ताइस करोड़ अस्सी लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रू0 एक अरब मात्र) की धनराशि स्वीकृति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , स्वीकृति की जा रही धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	मण्डल/ जनपद का नाम	वर्ष 2011–12 में आवंटित लक्ष्य	डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु वांछित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
	2	3	4	5
	आगरा मण्डल			
	1–आगरा	13	213.07	65.00
	2–फिरोजाबाद	11	180.29	55.00
	3–मैनपुरी	10	163.90	50.00
	4–मथुरा	10	163.90	50.00
	अलीगढ़ मण्डल			
	1–अलीगढ़	19	311.41	95.00

	2–महामायानगर	21	344.19	105.00
	3–एटा	10	163.90	50.00
	4–काशीरामनगर	10	163.90	50.00
3.	**इलाहाबाद मण्डल**			
	1–इलाहाबाद	46	753.94	230.00
	2–कौशाम्बी	36	590.04	180.00
	3–फतेहपुर	24	393.36	120.00
	4–प्रतापगढ़	17	278.63	85.00
4.	**आजमगढ़ मण्डल**			
	1–आजमगढ़	95	1557.05	475.00
	2–बलिया	17	278.63	85.00
	3–मऊ	45	737.55	225.00
5.	**बस्ती मण्डल**			
	1–बस्ती	25	409.75	125.00
	2–संतकबीरनगर	22	360.58	110.00
	3–सिद्धार्थनगर	11	180.29	55.00
6.	**बरेली मण्डल**			
	1–बरेली	19	311.41	95.00
	2–बदायूँ	27	442.53	135.00
	3–पीलीभीत	15	245.85	75.00
	4–शाहजहाँपुर	41	671.99	205.00
7.	**चित्रकूटधाम मण्डल**			
	1–बांदा	10	163.90	50.00
	2–चित्रकूट	13	213.07	65.00
	3–हमीरपुर	10	163.90	50.00
	4–महोबा	10	163.90	50.00
8.	**देवीपाटन मण्डल**			
	1–गोण्डा	10	163.90	50.00
	2–बहराइच	10	163.90	50.00
	3–बलरामपुर	10	163.90	50.00
	4–श्रावस्ती	10	163.90	50.00
9.	**फैजाबाद मण्डल**			
	1–फैजाबाद	17	278.63	85.00
	2–अम्बेडकरनगर	29	475.31	145.00
	3–बाराबंकी	49	803.11	245.00
	4–सुल्तानपुर	12	196.68	60.00
	5–छत्रपति शाहू जी महराजनगर	20	327.80	100.00

10.	गोरखपुर मण्डल			
	1–गोरखपुर	60	983.40	300.00
	2–देवरिया	15	245.85	75.00
	3–महराजगंज	10	163.90	50.00
	4–कुशीनगर	10	163.90	50.00
11.	झांसी मण्डल			
	1–झांसी	17	278.63	85.00
	2–जालौन	22	360.58	110.00
	3–ललितपुर	11	180.29	55.00
12.	कानपुर मण्डल			
	1–कानपुर नगर	19	311.41	95.00
	2–कानपुर देहात	20	327.80	100.00
	3–इटावा	18	295.02	90.00
	4–औरैया	26	426.14	130.00
	5–फर्रूखाबाद	10	163.90	50.00
	6–कन्नौज	10	163.90	50.00
13.	लखनऊ मण्डल			
	1–लखनऊ	61	999.79	305.00
	2–हरदोई	92	1507.88	460.00
	3–लखीमपुर खीरी	65	1065.35	325.00
	4–रायबरेली	38	622.82	190.00
	5–सीतापुर	93	1524.27	465.00
	6–उन्नाव	79	1294.81	395.00
14.	मेरठ मण्डल			
	1–मेरठ	10	163.90	50.00
	2–गौतमबुद्ध नगर	10	163.90	50.00
	3–बागपत	01	16.39	05.00
	4–बुलंदशहर	22	360.58	110.00
	5–गाजियाबाद	10	163.90	50.00
15.	विन्ध्यांचल मण्डल			
	1–मिर्जापुर	64	1048.96	320.00
	2–संतरविदासनगर	21	344.19	105.00
	3–सोनभद्र	92	1507.88	460.00
16	मुरादाबाद मण्डल			
	1–मुरादाबाद	33	540.87	165.00
	2–ज्योतिबाफुले नगर	17	278.63	85.00

	3–रामपुर	21	344.19	105.00
	4–बिजनौर	72	1180.08	360.00
17	**सहारनपुर मण्डल**			
	1–सहारनपुर	41	671.99	205.00
	2–मुजफ्फरनगर	10	163.90	50.00
18	**वाराणसी मण्डल**			
	1–वाराणसी	13	213.07	65.00
	2–चन्दौली	33	540.87	165.00
	3–जौनपुर	48	786.72	240.00
	4–गाजीपुर	52	852.28	260.00
	योग	2000	32780.00	10000.00

(रूपये एक अरब मात्र)

2– पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–1181/26–3–2011–01(ब0प्र0)/2009–डी0पी0, दिनांक 19–04–2011 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित सेन्टेज चार्जेज के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–2–23/दस–2011–17(4)/75, दिनांक 25–1–2011 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आवंटित डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य दिनांक 30–11–2011 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा लिया जायेगा।

3– धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय एस0सी0एस0 पी0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

4– उक्त धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि का उपायोग करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

5– इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यो के लेखों की लेखा परीक्षा नियमानुसार की जायेगी।

6– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक हाल /केन्द्र का निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— ई—3—983/दस—2011, दिनांक 27 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एल0मीणा)
सचिव

संख्या— 501 (1)/26—ब0प्र0—2011 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/कार्यक्रम कार्यान्वयन/डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0/निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0एल0मीणा)
सचिव